

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(13)न्याय/2018

जयपुर दिनांक 16.7.2026

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, जिला न्यायाधीश, जालोर के स्थान पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायाधीश, जालोर की स्थानीय सीमा/क्षेत्राधिकारता के अनुसार निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

  
(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, जालोर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(आशीष कुमार कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव